

उत्तर प्रदेश शासन  
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2  
संख्या- 25/2016/सीपी 714/84-2-2016-सीपी 7/2016  
लखनऊ : दिनांक : 05 दिसम्बर, 2016

कार्यालय जाप

श्री राज्यपाल नीचे दिये गये विवरण के स्तम्भ-2 में उल्लिखित जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्षों/सामान्य सदस्यों/महिला सदस्यों को उक्त विवरण के स्तम्भ-3 में उल्लिखित जिला उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष/सामान्य सदस्य/महिला सदस्य के पद पर स्तम्भ-4 में अंकित आधार पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित करने के आदेश प्रदान करते हैं :-

क्र० सं०	नाम, पदनाम एवं वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित जिला उपभोक्ता फोरम का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	श्री धर्म विजय सिंह, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, फतेहपुर।	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, रायबरेली। (दिनांक 13.01.2017 से प्रभावी)	स्वयं के अनुरोध पर।
2	श्री ओम प्रकाश तिवारी, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, कुशीनगर।	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, बाराबंकी।	स्वयं के अनुरोध पर।
3	श्रीमती विद्या यादव, सामान्य सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, सुल्तानपुर।	सामान्य सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, बाराबंकी।	स्वयं के अनुरोध पर।
4	श्रीमती शकीला खान, महिला सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, बाराबंकी (सम्बद्ध जिला फोरम, गौतमबुद्धनगर)	सामान्य सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, गौतमबुद्धनगर।	स्वयं के अनुरोध पर।
5	श्रीमती स्नेह त्रिपाठी, महिला सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, बहराइच (सम्बद्ध जिला फोरम, प्रथम लखनऊ)।	महिला सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, प्रथम लखनऊ।	स्वयं के अनुरोध पर।
6	श्री नान बाबू यादव, सामान्य सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, महाराजगंज ।	सामान्य सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, बलरामपुर।	स्वयं के अनुरोध पर।
7	श्रीमती मन्नो मिश्रा, महिला सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, लखीमपुर खीरी।	महिला सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, सिद्धार्थनगर ।	स्वयं के अनुरोध पर।
8	श्रीमती चंचल जैन, महिला सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, सम्भल (सम्बद्ध जिला उपभोक्ता फोरम, बाराबंकी)	सामान्य सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, द्वितीय लखनऊ।	स्वयं के अनुरोध पर।

उपर्युक्त अध्यक्षों/सामान्य सदस्यों/महिला सदस्यों को कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। उक्त स्थानान्तरित अध्यक्षों/सामान्य सदस्यों एवं महिला सदस्यों का स्थानान्तरण उनकी मूल नियुक्ति के क्रम में कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से 05 वर्ष का कार्यकाल अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने, जो पहले हो, तक ही प्रभावी रहेगी।

2 उपर्युक्त आदेश सिविल अपील सं०-6733/2001 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम आनंद प्रकाश सोलंकी में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25 अगस्त, 2003 के अधीन चयन समिति की संसृति के उपरांत व्यापक जनहित में निर्गत किये जा रहे हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

3 उपर्युक्त स्थानान्तरित अध्यक्षगण/सदस्यगण को एतद्वारा यह निदेशित किया जाता है कि वह कृपया अपने स्थानान्तरित स्थान पर आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा तदुपरान्त राज्य आयोग एवं शासन को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

कुमार अरविन्द सिंह देव  
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
- (2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) निबन्धक राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, 30प्र0, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।
- (4) जिलाधिकारी (फतेहपुर, रायबरेली, कुशीनगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, गौतमबुद्धनगर, बहराइच, लखनऊ, महाराजगंज, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, सम्भल)।
- (5) कोषाधिकारी (फतेहपुर, रायबरेली, कुशीनगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, गौतमबुद्धनगर, बहराइच, लखनऊ, महाराजगंज, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, सम्भल)।
- (6) निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, 30प्र0।
- (7) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग, 30प्र0।
- (8) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्रीगण जी, खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग, 30प्र0।
- (9) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
- (10) सम्बन्धित अध्यक्षगण/सदस्यगण। (द्वारा रजिस्टर्ड डाक)।
- (11) सम्बन्धित जिला उपभोक्ता फोरम (फतेहपुर, रायबरेली, कुशीनगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, गौतमबुद्धनगर, बहराइच, लखनऊ प्रथम एवं द्वितीय, महाराजगंज, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, सम्भल)। (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।
- (12) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रेम शंकर राय  
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।